



अग्नि शमन विभाग नगर निगम अजमेर



क्रमांक : अग्नि/2018/133

दिनांक : 5-11-2018

श्री कमलेश मूलचन्दानी पुत्र श्री खियालदास
ए- 126 माधवनगर, वैशाली नगर, अजमेर।
एवं श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री गोरखनलालजी
चौरसियावास रोड, वैशाली नगर अजमेर।

विषय :- श्री कमलेश मूलचन्दानी पुत्र श्री खियालदास ए- 126 माधवनगर, वैशाली नगर, अजमेर एवं श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री गोरखनलालजी चौरसियावास रोड, वैशाली नगर अजमेर खातेदारान की मूगि ग्राम माकड़वाली खसरा नं. 2590, 2591, 2592, 2599, 2591/4242 के लिए अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री कमलेश मूलचन्दानी पुत्र श्री खियालदास ए- 126 माधवनगर, वैशाली नगर, अजमेर एवं श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री गोरखनलालजी चौरसियावास रोड, वैशाली नगर अजमेर द्वारा विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम माकड़वाली खसरा नं. 2590, 2591, 2592, 2599, 2591/4242 पर भवन निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मीका निरीक्षण किया गया, अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण अजमेर विकास प्राधिकरण/मीको/अजमेर नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/राजस्थान गण्डल द्वारा स्वीकृति मानचित्रानुसार करना होगा।
2. नेशनल बिल्डिंग कोड, भाग - 4 के अनुसार आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. आवेदक कमलेश मूलचन्दानी पुत्र खियालदास एवं श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री गोरखनलाल वैशाली नगर, अजमेर को संजित योजनानुसार जैसाई की फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शायी गयी मान्य होगी।
4. निर्माण किये जाने वाले भवन को चारों ओर अग्निशमन वाहन के प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु चारों तरफ घूमने व कार्य करने के लिये पर्याप्त खाली स्थान (गलियारा) रखना होगा एवं मार्डल राजस्थान भवन विनियम 2013 (संशोधित) के विन्दु संख्या 9.12 के (ग) की पालना की जाये।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, अजमेर